राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
अकेलगढ़ रावतभाटा रोड, कोटा 324010
फोन (0744)–.2473003 फेक्स (0744)–2473033

क्र0: एफ(2) / बोम–27 / 2017 /

दिनांक:25.04.2017

प्रो. एन.पी. कौशिक, कुलपति,राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/ **श्री प्रेम सिंह मेहरा**, (आई.ए.एस), प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर/**श्री राजहंस उपाध्याय** (आई.ए.एस), अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर/ **श्री एस.के.सिंह**, निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, डब्ल्यू–6 रेजिडेंसी रोड,जोधपुर। **प्रो0 राजीव गुप्ता,** डीन फेकल्टी ऐफेयर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा/ **श्री सी.डी. प्रसाद,** एसोसिएट प्रोफेसर,, सिविल इंजीनियरिंग विभार्ग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा/ **डॉ. विकास बंसल,** एसोसिएट प्रोफेसर, यांत्रिकी इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा/ **प्रो. अनिल के0 माथुर,** प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, यूसीई, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/**प्रो, एच.डी.चारण,** प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, यूसीई, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/ **डॉ0 आभा जैन**, कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/ **संभागीय आयुक्त महोदय,** कोटा संभाग, कोटा/ **श्री भवानी सिंह राजावत**, माननीय विधायक (लाड़पुरा) ए–7, वल्लभबाड़ी, कोटा / **श्री प्रहलाद गुंजल,** माननीय विधायक (कोटा उत्तर), 7–डी–15, महावीर नगर विस्तार कोटा/ **श्री संत कुमार चौधरी** "वेद निवास" 141, सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली/**श्री रवि जूनिवाल**, मानद सचिव, अपेक्स ग्रुप आफ इन्सटीटयूशन, 4 ख 18 जवाहर नगर, जयपुर/ **प्रो. एन.के. जोशी,** प्रोफेसर, मोदी इंस्टीटयूट आफ मेनेजमेंट एण्ड टेक्नॉलोजी, दादाबाडी, कोटा/ **परीक्षा नियंत्रक,** (विशेष आमंत्रित सदस्य) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा/ **वित्त नियंत्रक,** (विशेष आमंत्रित सदस्य) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा ।

विषय : प्रबंध मण्डल की 27वीं बैठक के कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी करने बाबत।

महोदय,

निर्देशानुसार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रबंध मण्डल की 27वीं बैठक दिनांक 11.04.2017 (मंगलवार) को सम्पन्न हुई थी, के कार्यवाही विवरण आंशिक संशोधन उपरान्त अंतिम रूप से जारी कर प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डा0 आभा जैन)
कुलसचिव एंव
सदस्य सचिव, प्रबन्ध मण्डल

25.4.2017

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल बैठक

कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या	(27वीं) सत्ताईसवीं
स्थान	कुलपति कक्ष, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
दिनांक	11.04.2017
समय	प्रातः 11.00 बजे

Minutes of 27 BoM Meeting held on 11.04.2017 at 11.00 a.m. in the first floor of VC Secreteriat. Following members were present-

1. Prof. N.P. Kaushik	-	Chairman
2. Sh. Prahlad Gunjal	-	Member
3. Prof. Rajeev Gupta	-	Member
4. Prof. H.D. Charan	-	Member
5. Prof. Anil K. Mathur	-	Member
6. Sh. Sant Kumar Choudhary	-	Member
7. Prof. N.K. Joshi	-	Member
8. Sh. C.D. Prasad	-	Member
9. Dr. Vikas Bansal	-	Member
10. Dr. Abha Jain	-	Member Secretary
11. Sh. R.L. Parsoya	-	Special Invitee
12. Prof. A.K. Dwivedi	-	Special Invitee

Following members couldn't attend the meeting-

1. Sh. Rajhans Upadhyay, IAS(ACS, TE)
2. Sh.Raghuveer Singh Meena, IAS(DC)
3. Sh.Bhawani Singh Rajawat
4. Sh.S.K.Singh
5. Sh. Ravi Junival

After garlanding the Goddess Saraswati and lighting the lamp, meeting was started.

27वीं प्रबन्ध मण्डल दिनांक 11 अप्रेल 2017 को प्रातः 11.00 बजे कुंलपति सचिवालय स्थित प्रथम तल के सभागार में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण । बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे–

1. प्रो.एन.पी.कौशिक
2. श्री प्रहलाह गुंजल
3. प्रो. राजीव गुप्ता
4. प्रो. एच.डी. चारण
5. प्रो.अनिल कुमार माथुर
6. श्री संत कुमार चौधरी
7. प्रो. एन. के. जोशी
8. श्री सी.डी.प्रसाद
9. श्री विकास बंसल
10. डा. आभा जैन, सदस्य सचिव
11. श्री आर.एल. परसोया, विशेष आमंत्रित सदस्य
12. प्रो. ए.के.द्विवेदी, विशेष आमंत्रित सदस्य

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हो सके–

1. श्री राजहंस उपाध्याय, आईएएस
2. श्री रघुवीर सिंह मीना, आईएएस
3. श्री भवानी सिंह राजावत
4. श्री एस.के.सिंह
5. श्री रवि जूनिवाल

देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर बैठक को विधिवत रूप से प्रारम्भ किया गया

BoM 27.1 **To welcome new members of BoM and appreciate contribution made by out-going members.**

BoM welcomes new member secretary of BoM, Dr. Abha Jain, (RAS) Registrar, RTU, Kota and Prof. N.K. Joshi, Professor, MIMT, Dadabari, Kota.

BoM also appreciates the contributions made by Prof. Rakesh Mohan Joshi, Professor & Chairperson, IIFT, New Delhi, Prof. O.P. Chhangani, Principal, Apex Institute of Engg. & Tech., Jaipur, Prof. Mithlesh Kumar, Principal, Govt. Engineering College, Jhalawar, Prof. G.S. Dangayach, Professor, Mechanical Engg. Deptt, MNIT, Jaipur, Dr G.D. Agarwal, Associate Professor, Mechanical Engg. Deptt. MNIT, Jaipur, Prof. S.C. Jain, Professor, Computer Science Engg. Deptt. UTD, RTU, Kota. as member and Sh. Siyaram Meena, (RAS) Ex. officiating Registrar as Member Secretary of BoM.

The list of current Honourable Members is enclosed for perusal of members (Annexure-27.1 Page No. 1-2).

Resolution No.27.1 **The meeting started after Hon'ble Chairman alongwith other members lighted lamp to offer prayer to Her Holiness Saraswati. The Board of Management appreciate the services and guidance rendered by the out-going members. The Board also welcome the new member Dr. N.K.Joshi and Dr. Abha Jain, Member Secretary.**

प्रम 27.1 **प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना। (अनुलग्नक 27.1 पृष्ठ संख्या 1–2)**

प्रबंध मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रबंध मण्डल के सदस्य सचिव डा. आभा जैन, कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा एवं प्रो. एन.के. जोशी, प्रोफेसर एम.आई.एम.टी, दादाबाडी, कोटा का स्वागत करना।

निवर्तमान, सदस्य प्रो. राकेश मोहन जोशी, प्रोफेसर एवं चेयरपर्सन, आई.आई.एफ.टी, नई दिल्ली, प्रो. ओ.पी. छंगाणी, प्राचार्य, अपेक्स इंस्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलोजी, जयपुर, प्रो. मिथलेश कुमार, प्राचार्य राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड, प्रो. जी.एस. डंगायच, प्रो. यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग, एम.एन.आई.टी, जयपुर प्रो0 जी.डी. अग्रवाल प्रो. यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग, एम.एन.आई.टी, जयपुर, प्रो. एस.सी. जैन, प्रोफेसर कम्प्युटर एण्ड साईस इंजीनियरिंग विभाग, यूटीडी, आरटीयू,

कोटा एवं श्री सिया राम मीना, कार्यवाहक कुलसचिव एवं सदस्य सचिव द्वारा प्रबंध मण्डल को दिये गये अमूल्य सहयोग के लिए सराहना ज्ञापित करना।

प्रबंध मण्डल के वर्तमान सदस्यों की सूची अनुलग्नक 27.1. पृष्ठ 1–2 अवलोकन हेतु।

संकल्प 27.1 **देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर बैठक को विधिवत् रूप से प्रारम्भ किया । तत्पश्चात् प्रबंध मण्डल ने निवृतमान सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय को समय समय पर दी गई सेवाओं की सराहना की एवं साथ ही नए सदस्यों डा. एन.के.जोशी एवं डा.आभा जैन सदस्य सचिव का स्वागत किया ।**

BoM 27.2 **To consider and approve the minutes of 26th meeting of BOM held on 25.06.2016**

The 26th meeting of Board of Management was held on 25.06.2016 (Annexure-27.2.1 from page 3-44) were circulated amongst members.

Hon'ble Members are requested to kindly approve the same.

Resolution No.27.2 **Members approved the minutes of 26th meeting of BoM held on 25.6.2016.**

प्रम 27.2 **दिनांक 25.06.2016 को हुई प्रबंध मण्डल की 26वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।**

दिनांक 25.06.2016 को हुई प्रबंध मण्डल की 26वीं (अनुलग्नक 27.2.1 पृष्ठ संख्या 3–44) बैठक के कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों को प्रेषित किये गये थे।

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 27.2 **माननीय सदस्यों द्वारा प्रबन्ध मण्डल की 26वीं बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन किया गया ।**

BoM 27.3 **To consider and approve action taken report on the approved minutes of 26th meeting of BOM held on 25.06.2016.**

A consolidated report on the action taken on resolutions adopted by the Board of Management in its 26th meeting is submitted for perusal and approval as under. **(Annexure 27.3.1.1-27 page 45-77)**

Resolution 27.3 **The Honourable members approved the action taken report with the directions on the following points-**

26.5 **B. Tech. regulations must be submitted by the committee already constituted by 25th April, 2017 to the Vice Chancellor.**

26.10 **The matter may be put up in next BoM with complete details of the case. The details shall be prepared by RTU Accounts.**

26.17 **A reminder may be sent to the Technical Education Department for decision on the matter of appointment of Professor in Computer Science & Engineering**

26.19 **In compliance of this agenda item, the committee submitted statutes for appointment of teachers in University Department, was approved and same shall be sent to Honourable Chancellor for its approval.**

26.1(T) **Members directed to write a letter to prepare detailed proposal for Shodh Peeth and same may be put up in next BoM.**

प्र.म. 27.3 दिनांक को हुई प्रबंध मण्डल की 26वीं बैठक का कार्यपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (अनुलग्नक 26.3.1.1–27 पृष्ठ संख्या 45–77)

कार्यपालना रिपोर्ट माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु।

<u>Action taken for 26 BoM held on dated 25.06.2016</u>

BoM 26.1	To welcome new members of BoM and appreciate contribution made by out-going members. प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना। (अनुलग्नक 26.1 पृष्ठ संख्या 1–2)	Seen
BoM 26.2	To consider and approve the minutes of 24th meeting of BOM held on 13.07.2015 (Annexure-26.2.1 page No. 3-31) and 25th meeting of BoM held on 19.03.2016 (Annexure 26.2.2 from page 32-38) दिनांक 13.07.2015 को हुई प्रबंध मण्डल की 24वीं (अनुलग्नक 26.2.1 पृष्ठ संख्या 3–31) एवं दिनांक 19.03.2016 को हुई 25वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना। (अनुलग्नक 26.2.2 पृष्ठ संख्या 32–38 तक)	Approved
BoM 26.3	To consider and approve action taken report on the approved minutes of 24th meeting of BOM held on 13.07.2015. दिनांक 13.07.2015 को हुई प्रबंध मण्डल की 24वीं बैठक का कार्यपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	Approved
BoM 26.4	To consider and approve action taken report on the approved minutes of 25th meeting of BoM held on 19.03.2016 दिनांक 19.03.2016 को हुई प्रबंध मण्डल की 25वीं विशेष बैठक का	Approved

	कार्यपालना प्रतिवेदन ।	
BoM 26.5	To consider and approve the Minutes of the 21st Special Academic Council held on 19.03.2016 (Annexure-26.5.1 page No. 61-68) and 22nd Academic Council held on 30.03.2016 (Annexure-26.5.2 page 69-86) दिनांक 19.03.2016 को हुई विद्या परिषद की 21वीं विशेष बैठक (अनुलग्नक 26.5.1 पृष्ठ संख्या 61–68) एवं दिनांक 30.03.2016 को हुई विद्या परिषद की 22वीं बैठक (अनुलग्नक 26.5.2 पृष्ठ संख्या 69–86) के कार्यवाही विवरण पारित करना।	A committee constituted vide order issued vide no. 5890-93 dated 29.06.2016 **(Annexure 27.3.1.1 page no. 45)**
BoM 26.6	To consider and approve the minutes of 15th meeting of Finance Committee held on 18.03.2016. दिनांक 18.03.2016 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 15वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना। (अनुलग्नक 26.6 पृष्ठ संख्या 87–112)	Approved with the remark that the saperate agenda regarding Budget will be put in each meeting of BoM.
BoM 26.7	Several Legal cases are pending and regularly new legal cases being filed before the different legal courts. Maximum legal cases are pending and being filed before Hon'ble High Court, Jaipur bench and Hon'ble Courts of Kota. Therefore, it will be appropriate for the University to appoint a Standing Council at Jaipur and at Kota on similarly grounds as that of being appointed by the other Universities, for timely disposal and proper action in the legal cases. विश्वविद्यालय में राज्य के विभिन्न न्यायालयों में विधिक प्रकरण लंबित है तथा समय समय पर विधिक प्रकरण भी दर्ज होते रहते हैं। इन विधिक प्रकरणों में अधिकतर प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर एवं माननीय न्यायालय, कोटा में लंबित है एवं दर्ज भी होते है। अतः उक्त न्यायालयों मं लंबित विधिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं निष्पादन तथा नए प्रकरणों के संबंध में समय पर विधिक कार्यवाही एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु अन्य विश्वविद्यालयों की तरह जयपुर एवं कोटा में विश्वविद्यालय की तरफ से एक–एक स्टेंडिंग कॉउसिल की नियुक्ति करना उचित होगा।	Order issued vide no. 17319-29 dated 25.01.2017 **(Annexure 27.3.1.2 page no. 46)**
BoM 26.8	Duties of the Legal Advisor, Standing Council, Advocate and Officer-in charge in the legal matters of the University. विश्वविद्यालय के विधि सलाहकार, स्टेंडिंग कॉउंसिल, अधिवक्ता तथा प्रभारी अधिकारी विधिक प्रकरण के कर्तव्य	deffered
प्रम 26.9	विश्वविद्यालय द्वारा क्रय किये गये एयर कंडीशनर्स की कार्योत्तर स्वीकृति / शिथिलता के संबंध में।	विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या 8531 दिनांक 29.08.2016 **(अनुलग्नक 27.3.1.3 पृष्ठ संख्या 47–48)**एवं राज्य सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 23.09.2016 **(अनुलग्नक 27.3.1.4 पृष्ठ संख्या**

		49) तथा वित्त अधिकारी का पत्र संख्या 1777–79 दिनांक 10.11.2016 **(अनुलग्नक 27.3.1.5 पृष्ठ संख्या 47–50)**
प्र.म. 26.10	विश्वविद्यालय कोष से अनुकम्पा राशि स्वीकृत करने के संबंध में।	कार्यालय आदेश संख्या 7203–08 दिनांक 26.07.2016 जारी किया गया **(अनुलग्नक 27.3.1.6 पृष्ठ संख्या 51)**एवं कार्यालय आदेश संख्या 14718–21 दिनांक 27.12.2016 जारी किया गया। **(अनुलग्नक 27.3.1.7 पृष्ठ संख्या 52)**
BoM 26.11	To Consider the draft Annual Report 2014-15 (CD Attached) प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट 2014–15 (सीडी संलग्न) पर विचार करना	Approved
BoM 26.12	To approve the proposed list of Members for "Board of Governors" (BoG) under Rashtriya Uchchatar Siksha Abhiyan (RUSA) scheme of MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु शासी मंडल के सदस्यों की सूची के अनुमोदन हेतु।	Office order vide no. 9901-18 dated 21.09.2016 has been issued **(Annexure 27.3.1.8 page no. 53)**
BoM 26.13	To approve the proposed list of Members for "Project Monitoring Unit" (PMU) under Rashtriya Uchchatar Siksha Abhiyan (RUSA) scheme of MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु योजना परीवेक्षण इकाई के सदस्यों की सूची के अनुमोदन हेतु	Office order vide no. 9919-37 dated 21.09.2016 has been issued **(Annexure 27.3.1.9 page no. 54)**
BoM 26.14	To approve the proposed "Activity Chart" under Rashtriya Uchchatar Siksha Abhiyan (RUSA) scheme of MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत गतिविधियों की रूपरेखा के अनुमोदन हेतु।	कार्यालय आदेश संख्या 3640–52 दिनांक 22.08.2016 जारी किया गया **(अनुलग्नक 27.3.1.10 पृष्ठ संख्या 55–56)**
BoM 26.15	To approve the constitution procedure to form various committees to carry out the activities required to be performed under Rashtriya Uchchatar Siksha Abhiyan (RUSA) scheme of MHRD at RTU, besides BoG . मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिये समितियों के गठन हेतु वैधानिक प्रक्रिया के अनुमोदन हेतु।	कार्यालय आदेश संख्या 1364–75 दिनांक 09.06.2016 जारी किया गया **(अनुलग्नक 27.3.1.11 पृष्ठ संख्या 57)**
प्र.म. 26.16	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के शिक्षकों को प्रोफेशनल विकास हेतु राशि की स्वीकृति व विश्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधनो द्वारा ही प्रावधान के अनुमोदन हेतु।	इस हेतु प्रस्ताव वित्त समिति की आगामी बैठक में रखा जावेगा।

BoM 26.17	To peruse and provide direction on the matter of appointment of Professor in Computer Science & Engineering Department vide resolution of BoM 20.27 and BoM 24.9. प्रबंध मण्डल की 20वीं बैठक के बिन्दु संख्या 20.27 एवं प्रबंध मण्डल की 24वीं बैठक के बिन्दु संख्या 24.9 पर कम्प्युटर सांइस विभाग में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति प्रकरण के अवलोकन एवं निर्देशन हेतु	Letter sent to Joint Sec. vide no. 7811 dated 09.08.2016 **(Annexure 27.3.1.12 page no. 58-59)**
BoM 26.18	To peruse and provide direction on the matter of appointment of Asstt. Professon in Electronics Instrumentation & Control Department vide resolution of BoM 20.27 and BoM 24.10. प्रबंध मण्डल की 20वीं बैठक के बिन्दु संख्या 20.27 पर इलेक्ट्रोनिक्स इन्सट्रूमेंटेशन एण्ड कण्ट्रोल विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति प्रकरण के अवलोकन एवं निर्देशन हेतु।	Letter sent to Joint Sec. vide no. 6809 dated 20.07.2016, **(Annexure 27.3.1.13 page no. 60)** 7810 dated 09.08.2016, **(Annexure 27.3.1.14 page no. 61-62)** and letter received from Govt. vide dated 08.9.2016 **(Annexure 27.3.1.15 page no. 63)** and 9.12.2016, **(Annexure 27.3.1.16 page no. 64)** in compliance of above Appointment order no 14267-78 dated 19.12.2016 has been issued. **(Annexure 27.3.1.17 page no. 65-66)**
BoM 26.19	To consider the Selection Procedure for Direct Recruitments of Assistant Professor, Associate Professor and Professor of University Department of RTU.	Order issued vide no. 5894-99 dated 29.06.2016 **(Annexure 27.3.1.18 page no. 67)** & 5900-05 dated 29.06.2016 **(Annexure 27.3.1.19 page no. 68)**
BoM 26.20	To provide the furniture in Govt. Secondary School at village Dhoti and to carry out the other development works in village, adopted by RTU. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ग्राम ढोटी में फर्नीचर उपलब्ध करनवाने हेतु एवं गोद लिये गांव में अन्य विकास कार्य करवाना।	Order issued vide no. 7237-41 dated 27.07.2016 **(Annexure 27.3.1.20 page no. 69)**
प्र.म. 26.21	व्याख्याताओं के स्वीकृत पदों के विरूद्ध गैर सेवारत शिक्षकों/फ्रेश अभ्यर्थियों की गेस्ट फेकल्टी के रूप में सेवायें लेने के संबंध में।	Order issued vide no. 2366-75 dated 01.04.2017 **(Annexure 27.3.1.21 page no. 70)**
प्र.म. 26.22	विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों को पदौन्नति के समान अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में।	Letter sent to OSD, T.E. vide no. 7444-46 dated 30.07.2016,

		(Annexure 27.3.1.22 page no. 71-72) Reminder letter videno. 11403 dated 21.10.2016, **(Annexure 27.3.1.23 page no. 73)** Letter received from Govt. dated 24.10.2016 **(Annexure 27.3.1.24 page no. 74)** and letter received from Govt. dated 06.03.2017 **(Annexure 27.3.1.25 page no. 75)**
BoM (R) 26.1	To report action taken under TEQIP-II project टीईक्यूआईपी द्वितीय परियोजना के तहत की गई कार्यवाही रिपोर्ट करने के लिए।	Perused
प्र.म. (आर) 26.2	मानव संसाधन विकास मंत्रालय की प्रवर्तित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कार्य के लिए क्रय समिति के गठन का अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु।	Perused
BoM T.26.1	To establish Shodh Peeth in the university.	Order issued vide no. 7242-44 dated 27.07.2016 **(Annexure 27.3.1.26 page no. 76)**
प्र.म.टी.26.2	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों में केरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत सहायक प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नति के संबंध में चयन समिति की अनुशंसाऐं अनुमोदनार्थ ।	Letter sent to Joint Sec. vide no. 9477 dated 08.09.2016 **(Annexure 27.3.1.27 page no. 77)**

BoM 27.4

To consider and approve the Minutes of the 23rd Special Academic Council held on 07.01.2017

The meeting of the 23rd Special Academic Council held on 7.1.2017 **(Annexure 27.4 Page No.78-83)**

The Minutes of the meeting is placed before the BoM Members.

Members are requested to kindly approve the same.

Resolution 27.4

Minutes of Academic Council were approved with the instructions that the resolution made by the Academic Council may be complied.

प्र.म. 27.4

दिनांक 07.01.2017 को हुई विद्या परिषद की 23वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।

दिनांक 7.1.2017 को 23वीं विद्या परिषद की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के कार्यवाही विवरण सदस्यों के अवलोकन हेतु संलग्न है।
(अनुलग्नक 27.4. पृष्ठ संख्या 78–83)

संकल्प 27.4

दिनांक 07.01.2017 को हुई विद्या परिषद की 23वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया । माननीय सदस्यों का यह अभिमत था कि विद्या परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना सुनिश्चित की जावे ।

प्र.म. 27.5

दिनांक 06.03.2017 को हुई वित्त समिति की 16वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।

दिनांक 06.03.2017 को वित्त समिति की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के कार्यवाही विवरण सदस्यों के अवलोकन हेतु संलग्न है।
(अनुलग्नक 27.5 पृष्ठ संख्या 84–120)

वित्त समिति के कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु।

संकल्प 27.5

वित्त समिति का 16वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया ।

बिन्दु 16.9 में कलेण्डर वर्ष के स्थान पर शैक्षणिक सत्र पढा जावे साथ ही उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन कार्य की अधिकतम सीमा को ही गणना योग्य माना जावे ।

परीक्षा नियंत्रक द्वारा बिन्दु संख्या 16.11 पर प्रस्तुत अभिमत पर यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था में अधिकतम चार लेखाकर्मी शामिल होगें तथा केन्द्रीय मूल्यांकन के कुल कार्य दिवसों के 50% दिवसों के मानदेय का भुगतान लेखा कर्मियों को किया जावेगा ।

प्र.म. 27.6 **विश्वविद्यालय की निजी आय एवं व्यय के वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2016–17 के अनुमोदन के संबंध में।**

वित्त समिति की 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या 16.3 पर विश्वविद्यालय की निजी आय एवं व्यय के वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2016–17 अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये। उक्त अनुमानों के सारांश का योग निम्नानुसार है :–

S. N.	Particulars	Actual			Sanctioned Budget 2016-17	Actual Upto Dec-16	Revised Estimate 2016-17	Budget Estimate 2017-18
		2013-14	2014-15	2015-16				
1	Income	9170.09	9208.43	12747.02	9751.57	7641.15	10264.07	10842.27
2	Expenses	4623.21	7381.14	6404.56	9751.50	5027.66	8899.77	10837.50

समिति द्वारा बजट प्रावधानों का अवलोकन एवं आवश्यक विचार–विमर्श उपरांत वित्तीय वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान निम्नांकित आंशिक संशोधनों/निर्देशों सहित अनुमोदित किए गये :–

1 (a) Budget Estimate 2017-18 (Expenditure)

(Rs. in lacks)

S. No.	Object Code	Budget Head	Proposed BE Amount	Sanctioned BE Amount	Remarks
1	13	Scholarship & Stipend (Scholarship (Teaching Asstt) for M. Tech. and Ph. D. programe	150.00	130.00	--
2	57	Expenses on specific services	10.00	30.00	डीन (एफ.ए.), विशेष आमन्त्रिति द्वारा वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावानुसार

(b) Revised Estimate 2016-17 (Expenditure)

(Rs. in lacks)

S. No	Object Code	Budget Head	Proposed RE Amount	Sanctioned RE Amount	Remarks
1	41.3	Hiring of Security Services/ Drivers	70.00	85.00	वास्तविक व्यय/भुगतान के आधार पर
2	21	Maintiance & Repairs of Buildings	200.00	185.00	–

(2) विभिन्न Object Codes & Budget Heads में डीन (फेकल्टी अफेयर्स) को स्वीकृत राशि का NBA National Board of Accreditation के निर्धारित मानदंडों के परिपेक्ष्य में विभिन्न विभागों को माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत औचित्यपूर्ण आवंटन कर वित्त नियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे।

(3) बजट मैन्युअल के प्रावधान (बिन्दु संख्या 23.8.3) के अनुसार Outlay के सीमान्तर्गत शीर्षो में निधियों का हस्तान्तरण/पुनर्विनियोजन वित्त नियंत्रक के परामर्श पर माननीय कुलपति द्वारा किया जा सकेगा।

(4) विशेष परिस्थितियों में Outlay शीर्षो के बाहर स्वीकृति बजट नियंत्रण अधिकारी के रूप में माननीय कुलपति महोदय द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 12(6) में अनुमत की जायेगी जिसे अनुवर्ती वित्त समिति से अनुमोदित कराया जाएगा।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(a) में वर्णित प्रावधानों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
(अनुलग्नक 27.6 पृष्ठ संख्या 121– 127)

संकल्प 27.6 **विश्वविद्यालय बजट 2017–18 का अनुमोदन किया गया ।**

BoM 27.7 To approve the Agenda Item No. 53.17 of 53rd Board of Inspection (BOI) entitled "**Regulations for Affilation of Institutes.**

Regulations for Affilation of Institutes were discussed in BOI vide agenda item no 53.17 in 53rd BOI is placed befor the member for perusal.
(Annexure 27.7 Page No.128-136)

Members are requested to kindly approve the same.

Resolution 27.7 **Members approved the same with the direction that the regulations for affiliation shall comply with AICTE norms.**

प्र.म. 27.7 **बोर्ड ऑफ इन्सपेक्शन की 53वीं बैठक के बिन्दु संख्या 53.17 के तहत तैयार किये गये संबंद्ध महाविद्यालयों के लिए विनियम का अनुमोदन करना।**

बोर्ड ऑफ इन्सपेक्शन की 53वीं बैठक के बिन्दु संख्या 53.17 के तहत तैयार किये गये संबंद्ध महाविद्यालयों के लिए विनियम माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। **(अनुलग्नक 27.7 पृष्ठ संख्या 128–136)**

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु।

संकल्प 27.7 **माननीय सदस्यों द्वारा सम्बद्धता सम्बन्धी नियमों का अनुमोदन किया गया तथा निर्देश दिए गए कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों की सम्बद्धता नियमों की पालना सुनिश्चित की जायेगी ।**

प्र.म. 27.8 विश्वविद्यालय के 10 (दस) एसोसिएट प्रोफेसर्स को वर्ष 2016 में वार्षिक वेतन वृद्धि की देयता के सम्बन्ध में

विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्न 10 (दस) एसोसिएट प्रोफेसर्स को जुलाई, 2016 में वार्षिक वेतन वृद्धि की देयता हेतु माननीय कुलपति के अनुमोदनोपरांत स्वीकृत करते हुए विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश क्रमांकः 2082–2107 दिनांक 27–07–2016 प्रसारित किया गया **(अनुलग्नक 27.8.1 पृष्ठ संख्या137–138)**।

उपरोक्त आदेश के प्रसारण के पश्चात् विश्वविद्यालय के वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा 8 (आठ) एसोसिएट प्रोफेसर्स को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 04 जनवरी, 2016 (गजट नोटिफिकेशन दिनांक 6 जनवरी, 2016) के शीर्षक ''विविध''

के क्रम संख्या 153 के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय आदेश दिनांक 27–07–2016 के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि (आदेश के क्रम संख्या 1, 2 एवं 5 से 10 तक) को भुगतान नहीं किया गया। तदुपरान्त दिनांक 30–08–2016 को आहूत बैठक तथा उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण पर माननीय कुलपति के अनुमोदन के पश्चात् संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर को उक्त सम्बन्ध में विश्वविद्यालय पत्रांकः 9495–97 दिनांक 09–09–2016 प्रेषित किया गया **(अनुलग्नक 27.8.2 पृष्ठ संख्या 139–165)**। साथ ही कार्यवाही विवरण दिनांक 30–08–2016 के अनुमोदन में प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में कार्यालय टिप्पणी क्रम संख्याः 9461 दिनांक 08–09–2016 वित्त नियंत्रक महोदय को प्रेषित की गई। **(अनुलग्नक 27.8.3 पृष्ठ संख्या 166)**।

तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से सम्बन्धित पत्र क्रमांकः प(23)7/त.शि. /2009 दिनांक 16–09–2016 **(अनुलग्नक 27.8.4 पृष्ठ संख्या 167)** प्राप्त होने पर पुनः माननीय कुलपति द्वारा गठित कमेटी की बैठक दिनांक 28–09–2016 को आहूत की गई **(अनुलग्नक 27.8.5 पृष्ठ संख्या 168)** तथा उक्त बैठक में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के नियमों एवं प्रावधानों का वर्णन करते हुए कार्यवाही विवरण तैयार किया जाकर अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश संख्या 10342–46 दिनांक 28–09–2016 **(अनुलग्नक 27.8.5 पृष्ठ संख्या 169–170)** प्रसारित किया गया।

वित्त एवं लेखा विभाग से प्राप्त आपत्ति उपरान्त पुनः कार्यालय आदेश क्रमांकः VCS/F.1/14/2016/11419-23 दिनांक 22–10–2016 **(अनुलग्नक 27.8.6 पृष्ठ संख्या 171)** द्वारा गठित समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें कार्यवाही विवरण पर माननीय कुलपति के अनुमोदनोपरांत, उक्त वार्षिक वेतन वृद्धि एवं तत्सम्बन्धी ऐरियर का भुगतान विश्वविद्यालय के वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा सम्बन्धित शिक्षकों को कर दिया गया है। (कार्यालय आदेश एवं कार्यवाही विवरण की प्रतियां **अनुलग्नक 27.8.7 पृष्ठ संख्या 172–180** पर संलग्न हैं।

वार्षिक वेतन वृद्धि वर्ष 2016 की देयता का प्रकरण, बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 30–08–2016, 28–09–2016, 22–10–2016 एवं तत्सम्बन्धी आदेश के प्रकरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प 27.8 **अनुमोदन किया गया ।**

प्र.म. 27.9 श्री मनीष चतुर्वेदी एसोसियट प्रोफेसर मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में दिनांक 20–07–2013 से 19–07–2016 तक तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् पी.एच.डी. पूर्ण करने हेतु स्वंय की प्रार्थना पर उक्त गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के छः माह के ओर अवधि विस्तार के सम्बन्ध में प्रसारित विश्वविद्यालय आदेश क्रमांकः 8475–521 दिनांक 27–08–2016 के निर्णय हेतु प्रकरण निम्न वस्तु स्थिति के साथ **प्रस्तुत है :–**

1. श्री मनीष चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, मेकेनिकल इंजिनियरिंग विभाग को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रावधानों के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में आई.आई.टी., दिल्ली से पी.एच.डी. करने हेतु, आई.आई.टी., दिल्ली के पत्र क्रमांकः2013PQIT/179(11) दिनांक 14–05–2013 के क्रम में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांकःF(4)Gr.1/3.57/2013/9471-509 दिनांक 18–07–2013 **(अनुलग्नक 27.9.1 पृष्ठ संख्या 181–182)** द्वारा श्री चतुर्वेदी ने रू. 100/– के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध प्रस्तुत किया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत "NO DUES" के पश्चात् दिनांक 20–07–2013 से दिनांक 19–07–16 तक तीन वर्ष के लिए वेतन एवं अन्य

भत्तों के भुगतान सहित कार्यमुक्त किया गया। आई.आई.टी., दिल्ली के पत्र दिनांक 14–05–2013, श्री चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र, NO DUES एवं विश्वविद्यालय आदेश दिनांक 18–07–2013 की प्रतियॉ सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

2. श्री चतुर्वेदी द्वारा उनके पी.एच.डी. सुपरवाईजर प्रो. नरेश भटनागर, संकाय अध्यक्ष, अनुसंधान एवं विकास, आई.आई.टी. दिल्ली के पत्र दिनांक 05–09–2016, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रसारित पत्र दिनांक 1–08–1979, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के चेप्टर 24, तकनीकी शिक्षा आयुक्तालय, गुजरात सरकार के कार्यालय आदेश दिनांक 04–07–2014 एवं IIMT College of Engineering, Greater Noida के आदेश की प्रतियॉ संलग्न करते हुए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की अवधि में छः माह का ओर विस्तार करते हुए दिनांक 19–01–2017 तक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु उक्त दस्तावेजों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय पत्र क्रमांकः F(4)/Gr.1/3.54/2016/6604-05 दिनांक 14–07–2016 **(अनुलग्नक 27.9.2 पृष्ठ संख्या 183–184)** द्वारा संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों की प्रतियों एवं इंजिनियरिंग कॉलेज, अजमेर के दस्तावेज की प्रति के साथ गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में तीन वर्ष पश्चात् छः माह के अतिरिक्त विस्तार के लिए पत्र प्रेषित किया गया। पत्र की प्रति मय अनुलग्नकों के सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

4. पुनः विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांकः F(4)/Gr.1/3.54/2016/6790 दिनांक 20–07–2016**(अनुलग्नक 27.9.3 पृष्ठ संख्या 185)** द्वारा संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रकरण में पूर्व पत्र दिनांक 14–07–2016 के सन्दर्भ में तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 20–06–2007 को हुई बैठक के सूक्ष्म कार्यवाही विवरण के ऐजेण्डा क्रमांक 1.12 की प्रति संलग्न करते हुए पत्र प्रेषित किया गया। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र मय अनुलग्नकों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत है।

5. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांकःप. 3(1)त.शि./2016 दिनांक 28–07–2016 **(अनुलग्नक 27.9.4 पृष्ठ संख्या 186)** के द्वारा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की अवधि में छः माह के अतिरिक्त विस्तार किये जाने के प्रकरण में कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को सक्षम माने जाने का अंकन करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुणावगुणों के आधार पर प्रकरण में निर्णय लेने हेतु सूचित किया गया। पत्र की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

6. श्री चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 29–07–2016 **(अनुलग्नक 27.9.5 पृष्ठ संख्या 187)** को पुनः गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की अवधि में विस्तार किये जाने हेतु उक्त तकनीकी शिक्षा विभाग पत्रांकःप.3(1)त.शि./2016 दिनांक 28–07–2016 का सन्दर्भ देते हुए

विस्तार की अनुमति दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

7. माननीय कुलपति द्वारा पत्रावली क्रमांकः F(4)/Gr.1/3.57/2016/ (निजी पत्रावली श्री चतुर्वेदी) के पैरा 177/N पर दिये गये निर्देशों की अनुपालना में पूर्व में गठित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम समिति में डीन (फेक्लटी अफेयर्स) को डॉयरेक्टर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग (यू.सी.ई.) के स्थान पर सदस्य बनाये जाने का संशोधन करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांकः F(4)/Gr.1/3.57/2016/ 7702-11 दिनांक 4–08–2016 प्रसारित किया गया। **(अनुलग्नक 27.9.6 पृष्ठ संख्या 188)** आदेश की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

8. उक्त पुर्नगठित समिति की बैठक के मिटिंग नोटिस क्रमांकः F(4)/Gr.1/3.57/3.43/2016/7693-701 दिनांक 4/5–08–2016 प्रसारित किया गया, जिस पर वित्त नियन्त्रक (विशेष आमंत्रित) द्वारा आक्षेप करते हुए यह अंकन किया गया कि समिति का गठन नियमों/Statute के अन्तर्गत अनुमत होने पर ही किया जाना चाहिए तथा उक्त प्रकरण में गठित समिति का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण समिति गठन की आवश्यकता नहीं होने के सम्बन्ध में कुलसचिव को सूचित किया गया।

9. माननीय कुलपति को वित्त नियन्त्रक द्वारा मिटिंग नोटिस दिनांक 4/5–08–2016 पर अंकित उक्त आक्षेप के सम्बन्ध में अवगत करवाने पर, माननीय कुलपति ने वित्त नियन्त्रक को प्रकरण प्रेषित किया तथा वित्त नियन्त्रक द्वारा प्रस्तुत आदेश में संशोधन के साथ अनुमोदन करते हुए उक्त गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में छः माह की अवधि विस्तार हेतु कार्यालय आदेश क्रमांकः F(4)/Gr.1/3.57/2016/8475-521 दिनांक 27–08–2016 प्रसारित किया गया, जिसमें छः माह की अवधि विस्तार दिनांक 20–07–2016 से 19–12–2016 की अवधि की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई कि वेतन एवं भत्तों को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय एवं तत्पश्चात् माननीय राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की अधिस्वीकृति होना अंकित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 27–08–2016 की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।
(अनुलग्नक 27.9.7 पृष्ठ संख्या 189)

10. श्री चतुर्वेदी द्वारा उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 06–09–2016 के द्वारा मेकेनिकल इंजिनियरिंग विभाग में दिनांक 6–09–2016 को पूर्वान्ह में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम से वापस लौट कर विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना भेजी गई, जिसके साथ आई.आई.टी., दिल्ली का कार्यमुक्ति का आदेश भी प्रस्तुत किया गया। श्री चतुर्वेदी का प्रार्थना पत्र दिनांक 6–09–2016 एवं आई.आई.टी.,दिल्ली द्वारा दिये गए कार्यमुक्ति आदेश की प्रतियां सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

11. श्री चतुर्वेदी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 19–10–2016 के द्वारा आई.आई.टी., दिल्ली से की जा रही उक्त पी.एच.डी. प्रोग्राम को पार्ट टाईम पी.एच.डी. में परिवर्तित किये

जाने हेतु विभागाध्यक्ष, मेकेनिकल इंजिनियरिंग विभाग के माध्यम से प्रेषित किया गया। उक्त सम्बन्ध में माननीय कुलपति के अनुमोदन पश्चात् कार्यालय आदेश प्रसारित किया गया तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र पार्ट टाईम पी.एच.डी. हेतु दिया गया, जिसकी प्रतियां सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। **(अनुलग्नक 27.9.8 पृष्ठ संख्या 190—206)**

(अ) अतः प्रकरण श्री चतुर्वेदी द्वारा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 20—07—2016 से 05—09—2016 तक (कुल 46 दिवस) का अतिरिक्त उपभोग वेतन एवं भत्तों सहित विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित कार्यालय आदेश दिनांक 27—08—2016 के अनुसार किया है, अतः प्रकरण प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्तुत है।

(ब) प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के उपरान्त माननीय राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की अधिस्वीकृति भी लेनी होगी।

अतः प्रकरण माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प 27.9 **श्री मनीष चतुर्वेदी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । साथ ही गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (QIP) के तहत पी.एच.डी. करने वाले संकाय सदस्यों को छः माह तक अतिरिक्त विस्तार देने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया । इस प्रकार विस्तारित अवधि में नियमानुसार पूर्ण वेतन एवं भत्ते देय होगें ।**

प्र.म. 27.10 मुख्य छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षकों को देय भत्तो में वृद्धि करना।

मुख्य छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षकों को छात्रावास में अनुशासन एवं छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं को व्यवस्थित बनाये रखने के लिए समय समय पर सम एवं विषय परिस्थितियों में छात्रावास के कार्मिकों तथा विद्यार्थियों को दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित करना होता है। वर्तमान में केवल अधीक्षक भत्ते ही देय हैं अतः अधीक्षक भत्तों के साथ साथ मोबाईल भत्ते भी स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु मुख्य छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षकों निम्न सारिणीं अनुसार मुख्य छात्रावास अधीक्षक एवं अधीक्षकों को निम्नानुसार मोबाईल भत्ता एवं वर्तमान में दिये जा रहे अधीक्षक भत्तों में वृद्धि करना प्रस्तावित है। **(अनुलग्नक 27.10 पृष्ठ संख्या 207)**

भत्ते	**वर्तमान में देय भत्ते**		**प्रस्तावित देय भत्ते**	
	मुख्य छात्रावास अधीक्षक	छात्रावास अधीक्षक	मुख्य छात्रावास अधीक्षक	छात्रावास अधीक्षक
अधीक्षक भत्ते	रुपये 1000/—	रुपये 600/—	रुपये 2000/—	रुपये 1000/—
मोबाईल भत्ते	—	—	रुपये 500/—	रुपये 300/—

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प 27.10 **प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।**

प्र.म. 27.11 सहायक अनुभाग अधिकारी से अनुभाग अधिकारी के पदोन्नति की योग्यता निर्धारण के क्रम में

1. तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प.4 (1)त.शि./2006 दि 12.01.2017 **(अनुलग्नक 27.11.1 पृष्ठ संख्या 208)** में विश्वविद्यालय के सहायक अनुभाग अधिकारी से अनुभाग अधिकारी पद पर नियुक्ति/पदौन्नति हेतु संलग्न कार्मिक विभाग(ऐ–तृतीय),राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 8(1)डीओपी/ऐ–तृतीय/75 दिनांक 08.01.1991 में पार्ट–चतुर्थ के बिन्दु 12(2) में वर्णानुसार संलग्न श्यडूल में क्रमांक 04 पर अकंनानुसार कार्य अनुभव रखने के संबंध में प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ रखे जाने एवं प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की अनुपालना में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं। तदानुसार, सहायक अनुभाग अधिकारी से अनुभाग अधिकारी पद पर पदौन्नति प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

2. आलोच्य पत्र में संलग्न कार्मिक विभाग (ए–तृतीय), राजस्थान सरकार जयपुर के नोटिफिकेशन दिनांक 08.01.1991, राजस्थान सचिवालय सेवा नियम 1954 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम के अन्तर्गत अनुभागाधिकारी पद पर पदौन्नति हेतु प्रावधित कार्यानुभव विवरण मार्ग दर्शनार्थ संलग्न किया गया है।
(अनुलग्नक 27.11.2 पृष्ठ संख्या 209–222)

3. राजस्थान सचिवालय सेवा नियम 1954 के भाग–III के नियम 7(प) में भी प्रावधान है कि :–**"To the post of Section Officers from amongst such of the Assistants in the Secretariat as have experience of working on the post of Assistant for a period of two years or more." (अनुलग्नक 27 पृष्ठ संख्या)** जिसके अनुसार अनुभाग अधिकारी पद पर पदौन्नति के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर 2(दो) वर्ष का अनुभव होने की पात्रता अन्तर्वलित है। **(अनुलग्नक 27.11.3 पृष्ठ संख्या 223–240)**

4. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक भर्ती नियमों के अंतर्गत अनुभाग अधिकारी पद पर पदौन्नति हेतु निर्धारित पात्रता मानदंडों के तहत सहायक अनुभाग अधिकारी पद पर पांच वर्ष का कार्यानुभव होना अपेक्षित है,लेकिन विश्वविद्यालय में अपने कोई नियम नहीं होने के कारण

   विश्वविद्यालय में राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयकि सेवा नियमों के तहत पदोन्नतियां की जाती रही हैं ।

5. विश्वविद्यालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के 8(आठ) पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में 1 (एक) पद रिक्त हैं। विश्वविद्यालय सेवाओं में मन्त्रालयिक सेवा में केडर सचिवालय सेवा एवं लोक सेवा आयोग के अनुरूप क्लर्क ग्रेड–।।, क्लर्क ग्रेड–।,सहायक अनुभाग अधिकारी, एवं अनुभाग अधिकारी के पद सृजित है, जबकि राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियमों में केडर क्लर्क ग्रेड–।।, क्लर्क ग्रेड–।, कार्यालय सहायक, कार्यालय अधीक्षक एवं अनुभाग अधिकारी है ।

6. विश्वविद्यालय में अनुभागाधिकारी के 13 (तेरह) पद स्वीकृत हैं तथा 6 (छः)पद रिक्त हैं। राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक प.23(7)त.शि./2006 पार्ट दिनांक 10 फरवरी, 2011 के पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय के दो कार्यालय सहायक के पदों को तुरन्त प्रभाव से सहायक ग्रेड–पे 3600/– दिनांक 01.07.2013 से 4200/– परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। **(अनुलग्नक 27.11.4 पृष्ठ संख्या 241–244)** विश्वविद्यालय सेवा में मंत्रालयिक सेवा का केडर सचिवालय सेवा एवं लोक सेवा आयोग के अनुरूप है तथा उसी अनुरूप पदोन्नति चैनल होने के कारण राज्य सरकार के पत्रांक

प.4 (1)त.शि./2006 दि 12.01.2017 द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुये सक्षम स्तर (प्रबन्ध मंण्डल) से पारित कर लागू करने का लिखा गया है ।

अतः राज्य सरकार की अभिशषां एवं निर्देशों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के सहायक अनुभाग अधिकारी से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदौन्नति हेतु सचिवालय सेवा नियमों के अनुरूप पदोन्नति के प्रयोजनार्थ वांछित है।

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प 27.11 **प्रस्ताव का परीक्षण कर परिनियमों में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया । इस संबंध में माननीय विधायक श्री प्रहलाद गुंजल, सदस्य प्रबंध मण्डल द्वारा प्रबंध मण्डल के निर्णय संख्या 27.11 में संकल्प के संबंध में दिनांक 21.04.2017 को एक पत्र प्राप्त हुआ। जिसमें सुझाव अंकित है कि "राज्य सरकार के परिनियम एवं विश्वविद्यालय में समान संवर्ग होने के कारण राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में नियमानुसार लागू किया जाना चाहिये। अतः प्रबंध मण्डल के निर्णय संख्या 27.11 के लिए लिये गये संकल्प को संशोधित कर राज्य सरकार के नियमान्तर्गत पत्र की पालना की जावे।" इस संबंध में चूंकि 27वीं प्रबंध मण्डल में पूर्व में ही प्रस्तावों का परीक्षण कर परिनियमों में सम्मिलित करने का निर्णय लिया जा चुका है अतः माननीय विधायक श्री प्रहलाद गुंजल द्वारा संकल्प में संशोधन के प्रस्ताव को आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में कार्यवाही के लिए रखा जावे।**

संकल्प के अनुसार कुलपति महोदय को समिति गठित कर परिनियम बनाने हेतु अधिकृत किया गया ।

प्र.म. 27.12 **क्लर्क ग्रेड–द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन एवं भर्ती हेतु अनुमति बाबत ।**

क्लर्क ग्रेड–द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन एवं भर्ती हेतु विश्वविद्यालय में वर्तमान में कुल 58 पद क्लर्क ग्रेड– द्वितीय के रिक्त चल रहे है तथा पूर्व में 29 पदों के लिए विज्ञापन प्रसारित हो चुके है परन्तु विज्ञापन के पश्चात् कोई भर्ती की कार्यवाही नहीं हुई है। **(अनुलग्नक 27.12.1 पृष्ठ संख्या 245–248)**

प्रबन्ध मण्डल की 26वीं बैठक के निर्देशों की अनुपालना में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती प्रकिया हेतु रेगूलेशन्स एवं साथ ही अशैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती हेतु स्टेट्यूट्स का विनिर्माण उक्त प्रबन्ध मण्डल के एजेण्डा 26.19 की अनुपालना में गठित समिति द्वारा किया जा रहा है।

पूर्व में क्लर्क ग्रेड– द्वितीय पदो के विज्ञापन एवं प्राप्त ऑन–लाइन आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए पुनः क्लर्क ग्रेड– द्वितीय पदों हेतु सीधी भर्ती किए जाने हेतु ऑन–लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए भर्ती की कार्यवाही पूर्व में निर्धारित विज्ञापन के साथ विश्वविद्यालय की वेब–साइट पर अपलोड की गई राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के तद्नुसार प्रक्रिया, लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं अन्य प्रावधान एवं शर्तो आदि के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। प्रक्रिया, लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, प्रावधान एवं शर्ते इत्यादि की प्रतियॉ **(अनुलग्नक 27.12.2 पृष्ठ संख्या 249–255)** संलग्न है। उक्त भर्ती हेतु पूर्व में जारी विज्ञापनों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती परीक्षा किए जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन

विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक एफ(4)नियुक्ति/2016/12196–97 दिनांक 16–11–2016 प्रेषित किया गया था परन्तु आज दिनांक तक कोई पत्रोत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। **(अनुलग्नक 27.12. 3 पृष्ठ संख्य 256–259)**

अतः प्रकरण में पूर्वानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से एजेन्सी को हॉयर करते हुए ऑन–लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के क्लर्क ग्रेड–द्वितीय के पूर्व में विश्वविद्यालय वेब साइट पर अपलोड किए गए भर्ती प्रावधान, परीक्षा पाठ्यक्रम, शर्ते आदि, जिनकी प्रतियॉ अनुलग्नकों में संलग्न है, के आधार पर विज्ञापन एवं भर्ती परीक्षा आयोजन किए जाने की अनुमति हेतु प्रस्तुत है।

वर्तमान में कुल क्लर्क ग्रेड–द्वितीय के स्वीकृत पद 66 है। उनमें से 8 पदों पर क्लर्क ग्रेड–द्वितीय कार्यरत है। शेष पदों में से नियमानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग में क्लर्क ग्रेड–।। पद पर नियुक्तियों के लिये 10 पद रिक्त रखते हुए, शेष 48 पदों हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है :–

1. पूर्व में आउट सोर्सिंग एजेन्सी के द्वारा तीन बार क्लर्क ग्रेड–।। (कनिष्ठ लिपिक) पदों हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों की सूची निम्न प्रारूप में तैयार करते हुए विश्वविद्यालय वेब साईट पर अपलोड की जावे :–

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	आवेदन का वर्ष

2. पूर्व में वर्ष 2011, 2013 एवं 2014 में क्लर्क ग्रेड–।। (कनिष्ठ लिपिक) पद हेतु ऑन लाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेब साइट से अपनी सूची की क्रम संख्या, नाम एवं आवेदन का वर्ष आदि ऑन लाईन नवीन आवेदन पत्र में अद्यतन सूचनाओं के साथ यदि कोई हो, आवेदन करेगें तथा ऐसे आवेदकों को आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

   प्रथम चरण में 29 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया किया जाना प्रस्तावित है। शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया दूसरे चरण में की जावें जिससे विश्वविद्यालय पर वित्तीय भार एक साथ नहीं पड़े। अतः प्रथम चरण वर्ष 2017–18 में 29 पद तथा वर्ष 2018–19 में शेष पदों की रिक्तियों के लिये प्रक्रिया अपनाया जाना प्रस्तावित है।

   प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प 27.12 **क्लर्क ग्रेड–द्वितीय के प्रस्तावित पदों को विज्ञापित करने की अनुमति प्रदान की गई एवं निर्देश दिए गए कि भर्ती सम्बन्धी प्रकिया राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं प्रस्तुत प्रकिया द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप की जावे ।**

प्र.म. 27.13 विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में विभिन्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों को पदौन्नति के समान अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में।

1. 26वीं प्रबन्ध मण्डल की आहूत बैठक दिनांक 25–06–2016 के एजेण्डा 26.22 में लिये गये निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला अनुचर, पम्प ब्याय, मेडिकल अटेन्डेन्ट, प्लम्बर–कम–हेल्पर कार्मिकों को चतुर्थ श्रेणी वर्ग में सम्मलित करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक F(4)Gr.2/RTU/2016/7444-46 दिनांक 30–07–2016 द्वारा विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार,

जयपुर को 26वीं प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की अनुपालना में कार्यवाही विवरण की प्रति के साथ प्रेषित किया गया। **(अनुलग्नक 27.13.1 पृष्ठ संख्या 260–263)**

2. पुनः समसंख्यक पत्र क्रमांकः–11403 दिनांक 21–10–2016 द्वारा प्रकरण में स्मरण पत्र संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित किया गया **(अनुलग्नक 27.13.2 पृष्ठ संख्या 264)** ।

3. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांकः प 3(7)त.शि./2007 पार्ट दिनांक 24–10–2016 की अनुपालना में राजस्थान के अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों से उक्त कार्मिकों को किस संवर्ग में रखा गया है एवं पदोन्नति हेतु क्या चेनल निर्धारित है तथा नियमानुसार योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार क्लर्क ग्रेड–।। तथा तकनिशियन के पद पर पदोन्नति हेतु दोहरा अवसर प्रदान किये जाने तथा क्लर्क ग्रेड–।। के रिक्त पदों के 15% पदों पर विभागीय पदोन्नति के माध्यम से विशेष अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कुलसचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, कुलसचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को पत्र प्रेषित किये गये थे। **(अनुलग्नक 27.13.3 पृष्ठ संख्या 265–273)**

4. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 24–10–2016 के सन्दर्भ में अन्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न करते हुए मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा दिये गये जवाब के प्रकरण में प्रासंगिकता होने से, उक्त पत्र की प्रति के साथ विश्वविद्यालय पत्र क्रमांकःएफ(4)स्था./ग्रेड.2/पत्रावली–5/2017/18390 दिनांक 10–02–2017 प्रेषित किया गया। **(अनुलग्नक 27.13.4 पृष्ठ संख्या 274–77)**

5. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने उक्त प्रकरण में पत्र क्रमांकःप.3(7)त.शि./2007 पार्ट दिनांक 06–03–2017 द्वारा यह अवगत करवाया है कि "प्रकरण में मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर से प्राप्त सूचना एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के प्रबन्ध मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव का तुल्नात्मक अध्ययन कर आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में समुचित निर्णय लिया जावे। निर्णय लेते समय राज्य सरकार में विद्यमान पदोन्नति व्यवस्था को भी दृष्टिगत रखा जावे। तद्नुरूप प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिये गये निणर्यानुसार कार्यवाही की जावे"। **(अनुलग्नक 27.13.5 पृष्ठ संख्या 278)**

अतः प्रकरण निम्न बिन्दुओं के साथ पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत है :–

(अ) प्रयोगशाला अनुचर, पम्पबॉय, मेडीकल अटेण्डेण्ट, प्लम्बर–कम–हेल्पर कार्मिकों को चतुर्थ श्रेणी वर्ग की वरियता सूची में सम्मिलित किया जाना है, जिसमें उक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्त कार्मिकों को क्लर्क ग्रेड–।। के पद पर पदौन्नति देकर तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 06–03–2017 की कार्यवाही की जा सके। **(अनुलग्नक पृष्ठ संख्या)**

(ब) उक्त बिन्दु (अ) के क्रम में यह तथ्य अवलोकनीय है कि उक्तानुसार वरियता सूची बनाये जाने पर वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक पदौन्नत निम्न कनिष्ठ कार्मिक

क्लर्क ग्रेड–।। पद पर चतुर्थ श्रेणी संवर्ग की विद्यमान वरियता सूची के अनुसार विश्वविद्यालय में पदौन्नत हो गए है। क्रमशः (1) श्री रामकुमार योगी (2) श्री के. के. यादव (3) श्री मुकेश गोचर

अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तदनुसार वरीयता सूची (तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 06–03–2017 के अनुसार वरियता सूची में परिवर्तन पर) प्रयोगशाला अनुचर, पम्पबॉय, मेडीकल अटेण्डेण्ट, प्लम्बर–कम–हेल्पर कार्मिकों को क्लर्क ग्रेड–।। पद पर पदौन्नति राज्य सरकार के पदौन्नति नियमों के अनुरूप वरीयता सूची में सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय में वर्तमान में रिक्त चल रहे 58 क्लर्क ग्रेड–।। के पदों में से **विशेष 15% अतिरिक्त रूप में पदौन्नति किया जाना प्रस्तावित है।**

(स) प्रयोगशाला अनुचर, पम्पबॉय, मेडीकल अटेण्डेण्ट, प्लम्बर–कम–हेल्पर कार्मिकों प्रयोगशाला अनुचरों, चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को उनकी वरिष्ठता–सह–योग्यता के अनुसार विश्वविद्यालय में पदोन्नति का दोहरा लाभ मिल जावेगा :–

(1) प्लम्बर–कम–हेल्पर / प्रयोगशाला अनुचर / पम्पबॉय / मेडीकल अटेण्डेण्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से तकनीशियन **रिक्त पद के 15% तक**

(2) प्लम्बर–कम–हेल्पर / प्रयोगशाला अनुचर / पम्पबॉय / मेडीकल अटेण्डेण्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से क्लर्क ग्रेड–।। **रिक्त पद के विशेष 15% अतिरिक्त**

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प 27.13 **प्रस्ताव का परीक्षण कर परिनियमों में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया । इस सबंध में कुलपति महोदय को समिति गठित कर परिनियम बनाने हेतु अधिकृत किया गया ।**

प्र.म. 27.14 **प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 (सीडी संलग्न) पर विचार करना ।**

विश्वविद्यालय की वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट (संलग्न सीडी) अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत है।

संकल्प 27.14 **वाषिर्क रिपोर्ट 2015–16 को आवश्यक संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया ।**

प्र.म. टी 27.1 **असिस्टेण्ट प्रोफेसर्स की भर्ती प्रक्रिया एवं मापदण्डों के अनुमोदन हेतु**

प्रतिकुलपति महोदय से प्राप्त आई0ओ0एन0 कमांक आरटीयू / बीसीएस / एफ(1)33 / 2017 दिनांक 06 अप्रेल, 2017 **(अनुलग्नक टी.27.1.1 पृष्ठ संख्या 1)** में सन्दर्भित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली एवं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रिडिटेशन (NBA) टीम के प्रस्तावित दौरे के कारण विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में रिक्त असिस्टेण्ट प्रोफेसर्स के पदों की भर्ती हेतु ''भर्ती प्रकिया एवं मापदण्ड'' बनने है।

उक्त ''भर्ती प्रक्रिया एवं मापदण्ड'' प्रबन्ध मण्डल की 26वीं बैठक के एजेन्डा 26.19 में लिए गए संकल्प की अनुपालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक एफ (2)2 / बोम 26 / 2016 / 5894–99 दिनांक 29–06–2016 द्वारा गठित समिति के शैक्षणिक संवर्ग

हेतु अनुशंसित किए गए "Statutes" से लिये जा सकते है, जो संलग्न है। (हस्ताक्षरित ड्राफ्ट) **(अनुलग्नक टी.27.1.2 पृष्ठ संख्या 2 से 13)**

असिस्टेण्ट प्रोफेसर्स के कुल 88 रिक्त पदों हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार बनाए गए रोस्टर की विश्वविद्यालय के टीचिंग डिपार्टमेन्ट में ब्रांच अनुसार सूची संलग्न है। **(अनुलग्नक टी.27.1.3 पृष्ठ संख्या 14 से 15)**

इन 88 पदों पर सहायक प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना प्रस्तावित है, **जिसमें "शैक्षणिक संवर्ग हेतु अनुशंसित किए गए "Statutes" भर्ती प्रक्रिया सक्षम स्तर, माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के अनुसार होगी,"** अंकन किया जावेगा।

प्रस्ताव निर्देशानुसार माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प टी.27.1 **बिन्दु संख्या 26.19 की पालना में प्रस्तावित एवं अनुमोदित स्टेटयूट में वर्णित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार सहायक प्रोफेसर के 88 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ करनें एवं कार्य संपादन की अनुमति प्रदान की गई ।**

प्र.म.टी.27.2 छात्रों के अन्तर्महाविद्यालय स्थानान्तरण नियमों का अनुमोदन

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के अन्तर्महाविद्यालय स्थानान्तरण के संबंध में निर्मित रेग्यूलेशन प्रबंध मण्डल के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **(अनुलग्नक टी.27.2 पृष्ठ संख्या 16 से 23)**

संकल्प.टी.27.2 **अनुमोदन किया गया ।**

प्र.म. टी.27.3 श्री अन्नत बलाल, एसोसिएट प्राफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग एवं डा. राजेश लीडिया प्रोफेसर HEAS विभाग के विरूद्ध 16 सी.सी.नियम के अन्तर्गत जांच की समीक्षा

उपरोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में श्री अनन्त बलाल के विरूद्ध प्राप्त जांच रिपोर्ट सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा प्रोफेसर डा.राजेश लीडिया के संदर्भ में अवगत कराया गया कि जांच प्रक्रियाधीन है ।

उक्त प्रकरण माननीय सदस्यों के निर्देश हेतु प्रस्तुत किए गए ।

संकल्प प्र.म.टी.27.4 **श्री अनन्त बलाल एसोसिएट प्रोफेसर के संदर्भ में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इनके विरूद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जावे ।**

डा. राजेश लीडिया के संदर्भ में जांच शीध्र पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया ।

BoM T.27.1(R) To report the minutes of State Steering Committee (SSC) for TEQIP-II in respect of the approval for international travel undertaken by faculty members under TEQIP-II in compliance of BoM resolution no 20.10

With reference to dissent notes from Hon'ble members Sh. Prahlad Gunjal and Sh. Parmeshwar Lal on resolution 'BoM 20.10' of 20th meeting of BOM **(Annexure T. 27.1.1(R) Page 24 to 28),** the matter was forwarded to state government for approval of the international travel undertaken by faculty members under TEQIP-II project with permission of competent authority. Copy of letters dated 26.2.2015, 08.09.2016 and 09.09.2015 are attached as **Annexure T. 27.1.2(R) Page 29 to 32**.

In respect of above the minutes of 7th meeting the State Steering Committee of TEQIP-II are submitted for kind perusal of Hon'ble members. The SSC has resolved vide agenda item no. 7.3 as follows.

"The observations pointed out by the auditors, with regard to advances given and reimbursement of TA bills for international travel to the faculty members may be settled by RTU, Kota, taking into consideration the TEQIP-II foreign travel guidelines and also according to the e-mail dated 28-12-2016, sent by senior consultant academics NPIU to RTU, Kota, stating that for undertaking international travel under TEQIP-II, approval of the then competent authority (BOG) is only required." (Annexure T. 27.1.3(R) Page 33 to 38)

The NPIU has informed vide email dated 21st Feb, 2017 TEQIP-II Project Closure with following instructions: **(Annexure T. 27.1.4(R) Page 39 to 40)**
"All activities should be completed by 31st March, 2017. No new activities can be started and paid for after 31st March, 2017. During the four month grace period from 1st April 2017 to 31st July, 2017, payments can be made for goods delivered, works completed and services rendered till 31st March, 2017."

In view of above, approval from HVC was obtained to process the reimbursement of advances/ settlement of bills pending against the international travel performed by faculty members under TEQIP-II project.

Submitted for kind perusal of Hon'ble members .

Resolution 27.1(R) **Honourable members perused the issue and permitted for settlement of bills as per guidelines of TEQIP-II.**

(Prof.N.P.Kaushik)
Chairman

(Dr.Abha Jain)
Member Secretary